राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / जीएनएम / जी–88 (पार्ट–1) / 2022 / 78 दिनांक : 14.02.2022

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर (राज0)

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि. / जीएनएम / जी–88 (पार्ट–1) / 2022 / 76–77 दिनांक : 14.02.2022 की हार्ड कॉपी दस प्रतियां मय सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख दो समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) के सभी संस्करणों में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।

संलग्न – हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / जीएनएम / जी–88 (पार्ट–1) / 2022 / 78 दिनांक : 14.02.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में एक प्रेस नोट निदेशक (अराजपत्रित) की ओर से जारी कराने की व्यवस्था करावें।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी–39 सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
6. प्रभारी, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र को संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021–22 में तुरन्त अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. सचिव / समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई–277 लालकोठी योजना, जयपुर।
9. सचिव / समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर।
11. प्रबंध निदेशक, राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, (ई–मित्र), योजना भवन, जयपुर।
12. प्रबंधक, बैक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
13. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2022/76 दिनांक : 14-2-2022

–:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

सत्र 2021–22 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिनांक **15.02.2022 से 02.03.2022** तक राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

1.	**शैक्षणिक योग्यता**	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जीव विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी) विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य हैं (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हों तो दोनो परीक्षाओं, मुख्य व पूरक, की अंक तालिकाएं ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें)।
2.	**आयु (31.12.2021 को)** **एवं आरक्षण**	दिनांक 31.12.2021 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी किन्तु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प 7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को दस प्रतिशत आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा (नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो)। अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
3.	**सीटों की संख्या**	राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी। कुल सीटों की संख्या/संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है।
4.	**महिला/पुरूष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात**	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरूष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
5.	**पाठ्यक्रम की अवधि**	3 वर्ष –जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम पाठ्यक्रम की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थाई कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है।
6.	**शिक्षण शुल्क**	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/– रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/– रूपये वार्षिक।
7.	**चयन प्रकिया**	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात् योग्य पाये गये अभ्यर्थी को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन किया जावेगा।
8.	**आवेदन शुल्क**	सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 110/– रूपये शुल्क ई–मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है। ई–मित्र शुल्क पृथक से देय होगा।

9.	**आवेदन पत्र**	ऑनलाईन आवेदन पत्र ई–मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
10.	**विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र**	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2021/77 दिनांक : 14-2-2022

–:: विस्तृत विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2021–22 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम **(जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है)** में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरूष अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने की दिनांक **15.02.2022 से 02.03.2022** तक निर्धारित हैं। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)** अति पिछडा वर्ग **(MBC)** एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** के अभ्यर्थी को 220/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110/– रूपये आवेदन शुल्क ई-मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। उक्त पाठ्यक्रम हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A.) शैक्षणिक योग्यता :–

1. वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 होगी।
2. जीव विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों से उत्तीर्ण) के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता देय होगी।
3. यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार किया जायेगा।
4. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)**, अति पिछड़ा वर्ग **(MBC)** एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य हैं।

(B.) आयु (31.12.2021 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी) :–

1. दिनांक 31.12.2021 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) निर्धारित है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गके अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
3. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
4. विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :–

1. जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप **तीन वर्ष है जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है। (एएनएम को मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छः माह की छूट देय नहीं है।)**
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के कम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दू अलीगढ बोर्ड से सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा।
3. **अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन होने के पश्चात् वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण केन्द्र में परिवर्तन/स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। प्रथम काउन्सिलिंग उपरान्त केवल राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों हेतु अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।**
4. पाठ्यक्रम में महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
5. पाठ्यक्रम में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः राजकीय/निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा। प्राप्त आवेदनों

के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाकर आरक्षण के वर्गवार राजकीय/निजी संस्थान में उपलब्ध रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर आवंटन किया जावेगा। **राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 180/– रूपये एवं निजी क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश प्रकिया के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व विभागीय वैबसाईट पर दिये गये लिंक के माध्यम से स्कैन कर विकल्प पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश देय होगा। इस राशि का समायोजन फीस की राशि में कर दिया जावेगा।

6. अभ्यर्थी को राजकीय काउंसलिंग से राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल आवंटन होने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता/किसी कारणवश प्रशिक्षण केन्द्र को छोड़ देता है अथवा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी भी कारणवश अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा फीस पेटे जमा **180/– अथवा** 10,000/– रूपये अग्रिम राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. ऐसे आवेदनकर्ता जिन्होनें जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निजी नर्सिंग स्कूल के लिए अग्रिम फीस पेटे राशि रूपये 10,000/– तथा राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु रूपयें 180/– जमा करवाये गये किन्तु उनके विकल्पानुसार उनका चयन नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा जमा करायी गयी राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में लौटा दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तो की पूर्ण रूप से पात्रता रखता हो।
9. सत्र का आरम्भ कांउसलिंग होने के पश्चात किये जाने की सम्भावना है।
10. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा जिस जाति वर्ग/श्रेणी में आवेदन किया है उसे उसी जातिवर्ग/श्रेणी में सीट आवंटन हेतु विचार किया जावेगा। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त समझा जावेगा एवं बाद में श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(D.) काउंसलिंग :–

1. राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित (स्थायी) विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन किया जावेगा। प्राईवेट फैडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन नहीं किया जा सकता।
2. प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in**/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। इसमें राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल की सूची मय सीटों के उपलब्ध करा दी जायेगी। अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर जारी नर्सिंग स्कूल की उपलब्ध सूची के आधार पर ऑनलाईन भरकर प्रस्तुत करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार चार गुणा अभ्यर्थियों को **आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये मोबाईल न0 पर सूचित कर दिया जायेगा। इस बाबत् अलग से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।**
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन दिये गये विकल्प के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि/वरीयता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाईन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जायेगा।
4. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल द्वारा उपस्थिति की निर्धारित तिथि के पश्चात् तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नहीं दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया जाता है तो ऐसे राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में अभ्यर्थी आवंटन नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा एवं आगामी काउंसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र/विभाग में स्थायी कार्मिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/शैक्षणिक अंकतालिकाएं आदि उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका संबंधित बोर्ड/ संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जायेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल कोर्स से पृथक करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों का सत्यापन कराये जाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :–

राजकीय/निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत स्थायी विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. उच्च अध्ययन करने के इच्छुक कर्मचारियों को विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
2. योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
3. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (6) चि./ग्रुप–3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार विभागीय कर्मचारी की आयु दिनांक 31.12.2021 को 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (5) चि.स्वा.–3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के लिए जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ऐसे आवेदनकर्ता का उक्त प्रमाण पत्र भाग–स प्रमाणित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक स्थायी कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो गई है **(इसमें संविदा/यूटीबी/अनुबंध इत्यादि अस्थाई सेवाओं की गणना नहीं की जायेगी)**।
5. विभागीय कोटे में चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिपेक्ष्य में निदेशालय के आदेश क्रमांक : ई–18/एम/ /2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय होगा। **अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) स्वीकृत कराना होगा।**
6. विभाग में संविदा (Contract)/UTB/समेकित वेतन (Fixed Pay)/अस्थाई तौर पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा। संविदा पर अथवा अस्थाई तौर पर की गई सेवाओं को नियमित स्थाई सेवा में सम्मिलित नही किया जायेगा। यदि अस्थाई/संविदा पर कार्यरत कार्मिक अथवा स्थाई कार्मिक जिन्होनें 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं की है, इस पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करते है तो उन्हें विभागीय कोटे का लाभ नहीं दिया जायेगा।
7. विभागीय कर्मचारी को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन के पश्चात् कार्यमुक्त करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी की होगी।

(F.) आरक्षण :–

1. जीएनएम प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
2. राजस्थान का राजपत्र दिनांक 24.01.2019 में उल्लेखितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 के क्रम में जारी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : नर्सिंग/फार्मा/नर्स–2/एएनएम/विशे.योग्यजन/2021/419 दिनांक 01.04.2021 के अनुरूप विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
3. नॉन क्रिमीलयर का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए (सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें)।
4. जातिगत आरक्षण का लाभ केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों हेतु देय होगा।
5. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा की सभी सीटें जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (TSP) के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं।
6. जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अपने पिता के नाम से राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 02.03.2022 (मध्यरात्रि)** निर्धारित है। अभ्यर्थी अन्तिम तिथी को सायः 05:00 बजे तक ई–मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा मध्यरात्रि तक ऑनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे।

2. आवेदन शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्धारित शुल्क की राशि ई–मित्र एवं पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से स्वीकार्य की जावेगी।
3. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021–22 में प्रवेश के लिए आवेदन हेतु जन आधार नम्बर अनिवार्य है। अगर किसी का जन आधार नही बन पाया है तो वह जन आधार **Acknowledgement number** से भी आवेदन कर सकता है।
4. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क ई–मित्र के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति वर्ग, श्रेणी, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई–मित्र पर प्रस्तुत करेगा। जिस माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराया जा रहा है वहां से उसकी जमा रसीद/**Acknowledgement** प्राप्त कर लेवें।
5. अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर, आवेदन के समय स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है **(दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार)**।
6. जाति प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है **(दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार)**।
7. जन्म तिथि हेतु सैकेण्डरी अथवा समकक्ष (राजस्थान बोर्ड से मान्यतानुसार) की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है **(दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार)**।
8. सीनियर सैकेण्डरी/समकक्ष (राजस्थान बोर्ड से मान्यतानुसार) की अंकतालिका स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है **(दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार)**।
9. यदि निःशक्तजन हैं तो मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए **(दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार)**।
10. विभागीय कर्मचारी (नियमित/स्थायी) जो इस प्रशिक्षण हेतु अपना आवेदन कर रहा है, वह अपने नियंत्रण अधिकारी से 5 वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवाओं का प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'स'** में प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ स्कैन करवा कर अपलोड करेगा **(दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार)**।
11. आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व फोटो, स्कैन हस्ताक्षर आवश्यक दस्तावेज (सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की अंकतालिका) स्वयं द्वारा जांच लिये जावे कि समस्त दस्तावेज समुचित व सही हैं। बाद में इस संबंध में कोई परिवेदना स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नहीं होगी है। अभ्यर्थी विशेष रूप से यह नोट कर लें, कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद मे दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः दर्ज हो जावेगी।
13. आवेदक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रिन्ट आऊट (हार्ड कॉपी) डाउनलोड कर लेवें तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकें। आवेदक को आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय में ऑफलाईन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय में भेजे गये दस्तावेजों पर कोई कार्यवाही/विचार नहीं किया जायेगा।
14. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन कमांक (Application ID) उपलब्ध होगा और यदि आवेदन कमांक उपलब्ध नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नहीं हुआ है।
15. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2022 से निर्धारित अन्तिम तिथि 02.03.2022 (मध्यरात्रि) तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा (विभाग को विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा)।
16.

नोट :–

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** से डाउनलोड कर उसे आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर ले, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।

7. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के एसटी–टीएसपी, एससी–टीएसपी को राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। **राज्य सरकार कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के निर्देशानुसार अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातीय अभ्यार्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत सीटों पर किसी भी जाति/वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता कम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो। राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से जो व्यक्ति अभिप्रेत है उल्लेखित है।**

8. बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इसके लिए बारां जिले के सहरिया अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी बारां जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र भी स्कैन कर अपलोड करना होगा।

9. राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी संवर्गो) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा।

10. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग (**MBC**) के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। राजस्थान के मूल निवासियों हेतु अति पिछड़ा वर्ग (**MBC**) का सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक हैं, अन्यथा अभ्यर्थी को इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें तथा एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो)।
नोट : उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करें।

11. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना कमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए–II/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**) के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें तथा एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो। **उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करें)।**

12. **विज्ञप्ति के क्र.सं. E में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या F के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित विशेषयोग्यजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षण की सीटों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।**

(G) आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) से निर्धारित शुल्क देकर जमा करा सकते हैं। जिसकी रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।
2. ई–मित्र, जो राजस्थान सरकार से अधिकृत हो, के माध्यम से शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर लेवें।
3. आवेदन शुल्क स्ट्रक्चर

माध्यम	एससी/एसटी	सामान्य/ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस
ई–मित्र	शुल्क 110/–	शुल्क 220/–
पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड)	शुल्क 110/–	शुल्क 220/–
पेमेन्ट गेटवे (नेट बैकिंग)	शुल्क 110/–	शुल्क 220/–

4. ऑनलाईन आवेदन भरे जाने हेतु ई–मित्र तथा बैंक एवं पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिग) द्वारा लिये जाने वाला फीस के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क आवेदनकर्ता को अलग से देना होगा।
5. आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन शुल्क राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटायी जायेगी।

(H) आवेदन करने की प्रकिया :–

1. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) दिनांक 15.02.2022 से भरे जायेंगे। जिन्हें विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरा जा

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अंकित करें, कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही रद्द हो जावेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. ऑनलाईन आवेदन में गलत या अपूर्ण सूचना के सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने अथवा कूटरचित दस्तावेत प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ–साथ उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी/वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी/वर्ग में ही आवेदन प्रस्तुत करे। बाद में श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो आवेदक पुनः शुल्क जमा कराकर नया आवेदन कर सकते हैं।

(I) फीस :–

"राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/–वार्षिक फीस राशि एवं **निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** प्रवेश हो जाने पर फीस की शेष राशि आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी। इस आशय का एक शपथ पत्र भी स्वयं प्रवेशार्थी या प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि यदि राजकीय निर्णय अनुसार फीस शुल्क में जो वृद्वि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 50,000/– (अक्षरे रूपयें पचार हजार) वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 15,000/– अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 12,000/– अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 10,000/– अधिकतम निर्धारित है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Admission Form

Nationality*	○ Indian ◉ Others
Country*	--Select--
Name of Applicant*	
Father's Name*	
Mother's Name*	
Gender*	○ Male ○ Female ○ Other
Date of Birth*	
Mobile No. (To receive SMS for admission)*	+91 -
Email ID *	
Aadhar No.*	
Category*	--Select--
Do you belong to TSP Area ?*	○ Yes ○ No
Are you Differently Abled (DIVYANG) ?*	○ Yes ○ No
Are you Permanent Raj. State Govt. Employee ?*	○ Yes ○ No
Board Selection *	RBSE Board (2017,2018,2019,2020,2021) Other (Applicants who are not included in above categories)

Note:- (I) "If you have Grading result in X CBSE, then convert your grade into marks. For marks conversion click on http://www.icbse.com/cgpa/
(II) If RBSE / CBSE Candidates find any discrepancy in auto filled data from board then select 'Other' in basic details of qualifing exam section above and fill up form.

Examination/Course	Board	Roll No.	Name of School/College	Year of Passing	Faculty	Total Marks	Marks Obtained	Percentage
Secondary	-- Select --			-- Select				
Sr.Secondary	Select			Select	-- Select			

आपको फोटो, हताक्षर एवं निम्न मूल प्रमाण पत्रों की स्कैनड कॉपी अपलोड करनी है। अपलोड हेतू सिर्फ JPG/JPEG फॉर्मेट स्वीकार्य है।

Applicant's Photo (Minimum 50KB and Maximum 100KB)*	Choose File No file chosen
Applicant's Signature (Minimum 20KB and Maximum 50KB)*	Choose File No file chosen
Secondary Marksheet (Minimum 250KB and Maximum 500KB)*	Choose File No file chosen
Marksheet of last qualifying examination (Minimum 250KB and Maximum 500KB)*	Choose File No file chosen

भाग – स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी ....
2. पदनाम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ( )
3. संवर्ग में नियमित (स्थायी) नियुक्ति तिथि ....
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान ....
5. संवर्ग में स्थायी नियुक्ति पश्चात् नियमित सेवा अवधि

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने विभाग में पांच वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवा पूर्ण कर ली है। जिसमें संविदा सेवा की गणना नही की गई है।

हस्ताक्षर
(नियंत्रण / प्रशासनिक अधिकारी)
मय कार्यालय मोहर

भाग – द घोषणा

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी मे पूर्णत सत्य है, तथा मैने कोई तथ्य छिपाया नही है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य / त्रुटिपूर्ण / भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन / प्रवेश निरस्त किया जा कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग स्वतन्त्र रहेगा।

संलग्न :– प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :–

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र स्पष्ट / पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा स्व–हस्तारक्षित होना आवश्यक हैं। अहस्तारक्षित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।